संख्या- 20/2016/928 ई-2/तेरह-2016-11/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 18 अप्रैल,2016

विषय:- मे0 न्योली शुगर मिल, कासगंज को मा0 बी0आई0एफ0आर0 के आदेश के अनुपालन में शीरे पर लागू आरक्षण से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0-78/दस-शीरा-निधि-76 न्योली/एटा, दिनांक 18 नवम्बर,2014, पत्र संख्या-31632/दस-शीरा-निधि-76 न्योली, दिनांक 16 फरवरी2015 तथा पत्र संख्या-जी0-117/दस-शीरा-निधि-76 न्योली/एटा, दिनांक 31 दिसम्बर,2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मे0 न्योली शुगर मिल, कासगंज में शीरा वर्ष 2013-14 में उत्पादित शीरे पर आरक्षण लागू न किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) मे0 न्योली शुगर मिल, कासगंज को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी।

(2) भविष्य में इकाई को शीरे पर आरक्षण से छूट तभी प्रदान की जायेगी जब इकाई द्वारा मा0 बी0आई0एफ0आर0 से पुनर्वासन पैकेज/अवधि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करा ली जायेगी।

भवदीय,
विनोद कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in